पत्र सख्या–1प्रा0आ0–0–3–27/06....1501/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
अपर सचिव,

सेवा में,

सचिव,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक– 6/5/14

विषयः **वर्तमान वित्तीय वर्ष–2014–15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के विभिन्न उपशीर्षों तथा गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2235–60–200–0008– गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों को अनुग्रह अनुदान मद के अन्तर्गत आवंटित राशि की अग्रिम निकासी की व्यवस्था के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष–2014–15 में मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के विभिन्न उपशीर्षों तथा मुख्यशीर्ष–2235–60–200–0008– गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों को अनुग्रह अनुदान मद के अन्तर्गत आवंटित राशि मे से अग्रिम राशि की स्वीकृति में वित्त विभागीय ज्ञापांक–एम0–04–05/98–2561 (वि0) (2) दिनांक 17.04.98 की कंडिका–15 के आलोक में ₹10,000/– (दस हजार रूपये) से अधिक अग्रिम की राशि निकासी से संबंधित अग्रिम विपत्रों को पारित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त मदों में अग्रिम राशि की निकासी तभी की जाए जब इसकी तुरंत आवश्यकता हो। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम निकासी की राशि का उपयोग निकासी के पश्चात 30 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित किया जाएगा। अग्रिम राशि का व्यय करने के उपरान्त डी0सी0 विपत्र तथा विहित प्रपत्र 42A में उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय श्री रोमा प्रसाद सिकदार, सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन विभाग (मो0–8877948960) से जाँचोपरान्त महालेखाकार, बिहार/ संबंधित कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का उत्तर दायित्व संबंधित जिला पदाधिकारी/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

विश्वासभाजन
6/5/14
(अनिरूद्ध कुमार)
अपर सचिव

E:\All Report\Budget 2014 letter\Anirudh Sir -11-04-2014.doc